संख्या-275/2025/821/22-2-2024-17(955)/2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 21 मार्च,2025

विषय :- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश निगम पुत्र श्री मिठ्ठूलाल निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-13778/प्रो0अनु0(2)-240/2023/(बैठक दिनांक-01.12.2022) दिनांक-21-05-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश निगम पुत्र श्री मिठ्ठूलाल निवासी-प्लाट न0-8 मेरी जीसस स्कूल रोड़ के0डी0ए0 कालोनी देहली सुजानपुर, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। पी०सी०ओ० लगवाने में बी०एस०एन०एल० के कामर्सियल आफीसर प्रेम नारायन मिश्रा द्वारा देरी किये जाने के शक में दिनांक 30.09.2002 को बंदी ने ड्यूटी के दौरान प्रेम नारायन मिश्रा की गोली मार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस० टी० नं0- 320, 321/03, भा0द0वि0 की धारा-302 व 25ए एक्ट में मा० प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 01.10.2004 आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2007 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 01.05.2024 तक अपरिहार 21 वर्ष 03 माह 03 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष 06 माह 23 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 01.05.2024 को बंदी की आयु 46 वर्ष है।

3- अपर पुलिस आयुक्त, एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनाक 03.09.2021 द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि पी०सी०ओ० लगवाने में बी०एस०एन०एल० के कामर्सियल आफीसर प्रेम नारायन मिश्रा द्वारा देरी किये जाने के शक में दिनांक 30.09.2002 को बदी ने ड्यूटी के दौरान प्रेम नारायन मिश्रा की गोली मार कर हत्या कर दी। अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिनेश निगम पुत्र

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

श्री मिठ्ठूलाल को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश निगम (बन्दी संख्या-27882) पुत्र श्री मिठ्ठूलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-275/2025/821(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।